क्रमांक 12383-2 जी0एस0-II-75/35606

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला व हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक 4 दिसम्बर, 1975

विषय - अपंग भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि रोजगार विभाग द्वारा इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि उन द्वारा जब अपंग भूतपूर्व सैनिक विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए भेजे जाते है, तो नियोजक किसी न किसी कारण उनको स्वीकार नहीं करते या उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे स्वयं ही नौकरी लेने से इन्कार कर देते हैं । सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि भविष्य में प्रत्येक विभाग रोजगार विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अपंग भूतपूर्व सैनिकों को अविलम्ब रिक्त पदों पर नियुक्त करें और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हों, तो इसके लिए वे मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त करें ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

भवदीय,

हस्ता/–

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित––

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।